

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग-6

क्रमांक : व-6/राज-6/99/25

जयपुर, दिनांक : 19-7-99

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का अधिनियम सं. 15 की धारा 260 की उपधारा के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिनियम की धारा 90-अ, जैसा कि राजस्थान विधियाँ अध्यादेश 1999 का अध्यादेश सं. 3 के द्वारा बतलाया गया है, के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों अंकित क्षेत्राधिकार के भीतर अधिकारों का पर्यन्तान अर्थात् एवं भूमि का पुनर्गठन करने हेतु प्राधिकृत अधिकारों की शक्तियाँ प्रदत्त करती है।

अधिकारी

क्षेत्राधिकार

1. जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी
2. राज्य के उपरान्त नगर विकास न्यास में कार्यरत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी
3. उपरान्त नगर परिषद में कार्यरत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी
4. उपरान्त नगर पालिकाएँ

- स्थानीय क्षेत्र जैसा कि संशुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट।
- स्थानीय क्षेत्र जैसा कि कोलेक्टर द्वारा निर्दिष्ट।
- स्थानीय क्षेत्र जैसा कि कोलेक्टर द्वारा निर्दिष्ट।
- सम्बन्धित उपरान्त अधिकारी।

राज्यपाल जी आजादे  
संकेत विहित  
विभागाध्यक्ष

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, राजस्व मंत्री/मुख्य सचिव/मुख्य सचिव।
2. राजस्व सभा, राजस्थान।